UPJL010049292025

<u>न्यायालयः जिला जज, जालौन स्थान उरई।</u>
पीठासीनः विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0,

प्रकीर्ण वाद संख्या 79/2025
श्रीमती रानी आदि प्रति अनामिका पाल आदि

<u>14.03.2026</u>

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। आवेदकगण श्रीमती रानी एवं रवि पाल की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका संख्या 1 के पति एवं आवेदक संख्या 2 के पिता महेन्द्र पाल की मृत्यु दिनांक 22.04.2025 को हो गई है। विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक की पुत्रियां हैं और उनके वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। मृतक द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण पैरा 6 में दिया गया है, के सम्बन्ध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। मुनादी व प्रकाशन कराया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से संयुक्त जबावदावा 19ख मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विपक्षीगण द्वारा मुख्यतः कथन किया गया है कि मृतक महेन्द्र पाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा उरई में जमा धनाशि 5,00,000/–रूपये वादीगण को दे दिया जावे तथा वादीगण के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे, जिसमें विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

3. आवेदकगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 7ग1 से मृतक महेन्द्र पाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की नेट प्रति कागज संख्या 8ग, एल0आई0सी0 पॉलसी की छायाप्रति कागज संख्या 9ग1/1 लगायत 9ग1/3, परिवार रजिस्टर की प्रति कागज संख्या 10ग, मोक्षधाम रसीद की छायाप्रति कागज संख्या 11ग1/1, सभासद बार्ड नं021 नगरपालिका परिषद उरई द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 11ग1/2, राशन कार्ड की नेट प्रति कागज संख्या 12ग, आवेदकगण रानी व रविपाल के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 13ग1/1 व 13ग1/2 तथा सूची 26ग से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में स्वंय का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 24ख बतौर पी0डब्लू0–1 के रूप में दाखिल किया है, जिसमें उसने मुख्य रूप से कथन किया गया है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 22.04.2025 को हो गई है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवेदकगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः मृतक द्वारा छोड़ी गई धनराशि का 3/4 हिस्से का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदिका संख्या 1 के हक में तथा 1/4 हिस्से का

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:35:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नावालिग पुत्र के हक में जारी कर दिया जाए।

आवेदकगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में **विधि व्यवस्था शिप्रा सेनगुप्ता बनाम मृदुल सेनगुप्ता व अन्य 2009 (108) आरडी–462** प्रस्तुत करी गयी है।

मेरे द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था का ससम्मान परिशीलन करा गया। उपरोक्त विधि व्यवस्था में अपीलार्थी के द्वारा धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत मृतक के इन्श्योरेंस, ग्रेच्युटी, पब्लिक प्रवीडेन्ट फण्ड आदि में अपने हिस्से के लिए केस दायर करा गया था और इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह सम्प्रेक्षण करा गया हैः–

"In sarbati devi (supra), this Court has laid down that a mere nomination does not have the effect of conferring to the nominee any beneficial interest in the amount payable under the life insurance policy, on death of the insurer. the nomination only indicates the hand which is authorized to receive the amount on payment of which the insurer gets a valid discharge of its liability under the policy. The amount, however, can be claimed by the heirs of the assured in accordance with the law of succession."

प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में जमा धनराशि को प्राप्त करने के लिए श्रीमती रानी को नामित किया गया गया था, लेकिन उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि केवल नामित होने के आधार पर बीमाधारक की मृत्यु पर जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी लाभदायक हित प्राप्त नहीं किया जा सकता है और मृतक की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति में उसके उत्तराधिकारी उन पर लागू होने वाले उत्तराधिकार के कानून के अनुसार सम्पत्ति पर दावा कर सकते हैं।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदकगण श्रीमती रानी एवं रवि पाल तथा विपक्षी सं0–1 व 2 मृतक महेन्द्र पाल के विधिक उत्तराधिकारी हैं। चूँकि विपक्षी सं0 1 व 2 के द्वारा आवेदकगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। चूँकि आवेदिका द्वारा यह कथन करा गया है कि मृतक की सम्पत्ति में से 3/4 भाग के संबंध में उसके पक्ष में तथा 1/4 भाग के संबंध में आवेदक संख्या 2 के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, जिसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण श्रीमती रानी एवं रविपाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख, अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किया जाता है। मृतक महेन्द्र पाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा उरई, जिला जालौन की पॉलिसी नं0 259433750 में जमा धनराशि मुव0–5,00,000/–रूपये (पॉच लाख रूपये) मय ब्याज के 3/4 हिस्से के संबंध में आवेदिका संख्या 1 के पक्ष में तथा शेष 1/4 हिस्से के संबंध में आवेदक संख्या 2 के पक्ष में नियमानुसार देय न्याय शुल्क अदा करने के उपरान्त

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

चूँकि आवेदक संख्या 2 रवि पाल अवस्क है। अतः उसके हिस्से की धनराशि उसके वयस्क होने की अवधि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिक ब्याज वाली सावधि जमा योजना में निवेशित की जाएगी।

आवेदकगण को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतक के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेंगे तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेंगे।

दिनांक 14.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
जिला जज,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ.कोड यू.पी.–6525